	A	B	C
1	**जिला खेल कार्यालय बिजनौर।**		
2	**जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओ पर सूचना।**		
3	**क्र.सं.**	**बिन्दु**	**बिन्दुबार सूचना**
4 5	1.	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर विभिन्न खेलो में खिलाड़ियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें विभाग द्वारा निर्धारित क्रीड़ा उपकरण भी दिये जाते है। राष्ट्रीय दिवसो पर खेल दिवस तथा अन्य अवसरो पर विभाग द्वारा निर्धारित जिला/प्रदेश /राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जाता है। विभागीय मानक के अनुसार जनपद के वृहद खिलाड़ियो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथा जनपद में आवश्यकतानुसार खेल अवस्थापनाओ का निर्माण जिला योजना के माध्यम से कराया जाता है।
6 7	2.	अपने अधिकारियो / कर्मचारियो की शक्तियां एवं कर्तवय	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है। और उसके अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
8 9 10 11	3.	विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्य–वेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रीड़ा अधिकारी, उपक्रीड़ा अधिकारी, तृतीय श्रेणी,चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। विभाग द्वारा संचालित कार्य क्रमो का संचालन/निरीक्षण किया जाता है। कार्यालय बैराज रोड़ सिविल लाईल–II बिजनौर मे स्थित है।
12 13	4.	अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला स्तर पर क्रीड़ा अधिकारी का पद सृजित है। जिनके नियन्त्रण मे रहकर सभी तृतीय श्रेणी/चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी विभागीय कार्य सम्पन्न करते है।
14 15 16 17 18	5.	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियो द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	खेल विभाग द्वारा जनपद बिजनौर में क्रीड़ा अधिकारी, उपक्रीड़ाधिकारी, तृतीय श्रेणी तथा चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। कार्यालय द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
19 20 21	6.	ऐसे दस्तावेजो की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण मे है।	शासन/विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
22 23	7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके	इस कार्यालय द्वारा विभागीय तथा जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित कमेटिया जिसमे जनप्रतिनिधि भाग लेते है

A	B	C
	कार्यान्वयन के सम्बंध में लोक सदस्यो के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्या– वेदन के लिए विद्यमान है।	उसमे कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदो, समितियों और अन्य निकायो के विवरण जिसमे स्थापना इसके भाग के रूप मे अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डो परिषदो, समितियों तथा अन्य निकायो की बैठक लोगो के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक मे शासन की मन्शा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियो/खेल संघो से जुडे प्रतिनिधियो की रॉय/सुझाव लिये जाते है। उसके अनुसार ही खेल उसके अनुसार ही खेल कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियो एवं कर्मचारियेा की निर्देशिका	इस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशो का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियो एवं कर्मचारि– योद्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों मे यथा उपवन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियो/कर्मचारियो से सम्बन्धित मासिक सूचनाए निदेशक, खेल निदेशालय, उ0 प्र0 खेल भवन लखनऊ को उपलब्ध करायी जाती है।
11.	सभी योजनाओ, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणो पर रिर्पोटो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	इस कार्यालय को बजट निदेशक, खेल निदेशालय,उ0प्र0 खेल भवन लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके प्रत्येक माह व्यय विवरण निदेशक, खेल निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को भेजा जाता है। जिला योजना में "क्रीड़ा प्रतिष्ठानो का निर्माण" मद में जिला प्रशासन के सहयोग से धनराशि आवंटित होती है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के लाभार्थियो के व्योरे सम्बन्धित है।	55वर्ष से अधिक आयु वाले एवं समस्त श्रोतो से रूपया 10,000/– की आय वाले भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियो एवं पहलवानो को खेल विभगा द्वारा निम्नानुसार अर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राज्य स्तरीय खिलाड़ी को रूपया 2000/– प्रतिमाह। राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी को रूपया 3000/– प्रतिमाह। अर्न्तराष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी को रूपया 10,000/– प्रतिमाह।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञाप– त्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओ की विशिष्टियॉ	ाासन/विभागीय निर्देशानुसार खिलाड़ियो प्रोत्साहित करने जिला मुख्यालय पर विभिन्न खेलो के प्रशिक्षिण शिविर एवं प्रतियोगिता करायी जाती है।

14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप मे सूचना के सम्बंध मे व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा निर्धारित हो।	इस कार्यालय द्वारा समस्त सूचनाऐ उच्च अधिकारियो के सकंलित कर भेजी जाती है। आवश्यकातानुसार प्रिंट मीडिया से प्रसार–प्रचार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरि–को को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टि.. यॉ जिसमे किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के यदि लोक उपयो के लिए अनु–रक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियो के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	जनसूचना अधिकारी, जितेन्द्र यादव क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय नेहरू स्पोर्टस स्टेडियम बिजनौर।

(जितेन्द्र यादव)
क्रीड़ा अधिकारी
बिजनौर।